

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (बसिया)

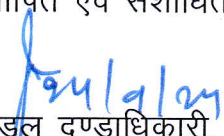
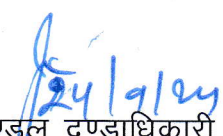
आदेश

वाद सं० 37/2018
धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष — प्रभा देवी वगै०

बनाम

द्वितीय पक्ष — बुधदेव राम वगै०

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	अभिलेख उपस्थापित :- थाना कामडारा के अप्राथमिकी संख्या 06/2018 दिनांक 03.07.2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष— (1) प्रभा देवी उम्र 42 पति— स्व० नन्दकिशोर राम (2) सुमती देवी उम्र 41 वर्ष पति— रोहित राम (3) सुगन्ती देवी उम्र 35 वर्ष पिता— स्व० अगस्त राम (4) कृष्णा राम उम्र 40 वर्ष पिता— स्व० एतवा राम (5) मुक्तेश्वर राम उम्र 38 वर्ष पिता— स्व० शंकर राम (6) छक्कर राम उम्र 35 वर्ष पिता— शंकर राम सभी सा० कामडारा, हरिजन टोली थाना— कामडारा जिला—गुमला द्वितीय पक्ष— बुधदेव राम उम्र 42 वर्ष पिता— स्व० लक्ष्मण राम (2) सचिन मांझी उम्र 20 वर्ष (3) अनिकेत मांझी उम्र 18 वर्ष दोनों के पिता— बुधदेव राम (4) सावित्री देवी उम्र 26 वर्ष पति— बुधदेव राम सभी सा०— कामडारा, हरिजन टोली थाना— कामडारा जिला— गुमला के बीच मकान बनाने को लेकर उत्पन्न विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को लेकर वाद लाया गया था। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद की कार्रवाई अवधि में उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार की शांति भंग एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। उक्त वाद की कार्रवाई अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद नहीं होने के कारण आज दिनांक <u>24/9/2024</u> को उक्त वाद के अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)	